न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 20—2—2020

मोती पुत्र श्री बाबूलाल बैरवा निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14—10—2019 मिसल नम्बर 724 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 1—9—2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14—10—2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 950 / 3235 रकबा 0.30 है0,वाके ग्राम शोप की किस्म बारानी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 120 / रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा [illegible] पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जांच किये एंव अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो [illegible] विधान एंव तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने वर्तमान में किसी भी सरकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:46 IST
Reason: SelfAttested

अथवा गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, ओर न ही कोई सल काश्त कर रखी है। पटवारी हल्का ने किसी रंजिश के कारण अपीलान्ट के विरूद्व झूठी शिकायत करते हुए उक्त गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जॉंच किये कार्यवाही करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व सुने बिना एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जिसमें भी अंकित किया है कि अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा उसकी तामील नहीं हुई इस प्रकार बिना सुने निर्णय दिया है जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ओर चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट का मौके पर वर्तमान में कब्जा नहीं है, कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है एंव न्यायालय के आदेश के अनुसार शपथ पत्र देने को तैयार है। इस कारण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 950/3235 रकबा 0.30 है0,वाके ग्राम शोप की किस्म बारानी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काश्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 85/18 निर्णय दिनांक 15–11–2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि किस्म बारानी खसरा नम्बर 950/3235 रकबा 0.30 है0,वाके ग्राम शोप की किस्म बारानी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काश्त अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 85/18 दिनांक 15–11–2018 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलन्ट ने स्वय अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा दिनांक 2–3–2020 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपना कब्जा हटाना स्वी[illegible] कब्जा नहीं करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार [illegible] कब्जे के सम्बन्ध में मंगवाई गई। नायब तहसीलदार सोप ने अ[illegible] क्रमांक 439 [illegible] 28–2–2020 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अपीलान्ट मो[illegible] सोप ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ कर भूमि खाली करना बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 14–10–2019 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि अपीलान्ट नायब तहसीलदार शोप के समक्ष तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि विवादित भूमि से उसने अपना कब्जा छोड दिया है एंव वह भविष्य में इस भूमि व अन्य किसी भूमि पर कभी कब्जानहीं करेगा। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार नायब तहसीलदार शोप यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:46 IST
Reason: SelfAttested